दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

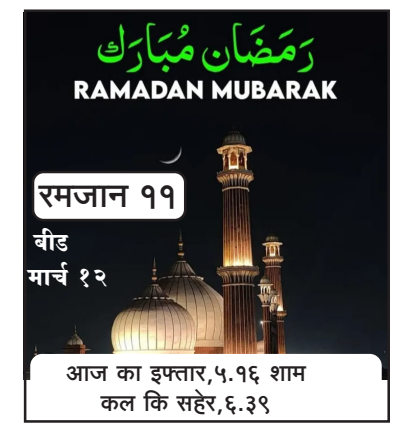

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२१९ वा | मंगळवार १२ मार्च २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

धाराशिव (उस्मानाबाद)-बीड-संभागीनगर (औरंगाबाद) रेलवे परियोजना को मिली मंजूरी-सांसद बजरंग सोनवणे

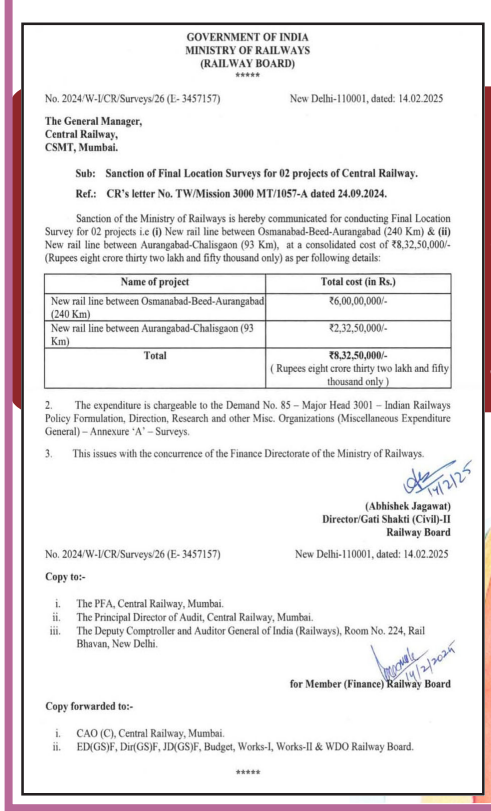

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
*****

No. 2024/W-I/CR/Surveys/26 (E- 3457157) New Delhi-110001, dated: 14.02.2025

The General Manager,
Central Railway,
CSMT, Mumbai.

Sub: Sanction of Final Location Surveys for 02 projects of Central Railway.

Ref.: CR's letter No. TW/Mission 3000 MT/1057-A dated 24.09.2024.

Sanction of the Ministry of Railways is hereby communicated for conducting Final Location Survey for 02 projects i.e **(i)** New rail line between Osmanabad-Beed-Aurangabad (240 Km) & **(ii)** New rail line between Aurangabad-Chalisgaon (93 Km), at a consolidated cost of ₹8,32,50,000/- (Rupees eight crore thirty two lakh and fifty thousand only) as per following details:

Name of project	Total cost (in Rs.)
New rail line between Osmanabad-Beed-Aurangabad (240 Km)	₹6,00,00,000/-
New rail line between Aurangabad-Chalisgaon (93 Km)	₹2,32,50,000/-
Total	**₹8,32,50,000/-** (Rupees eight crore thirty two lakh and fifty thousand only)

2. The expenditure is chargeable to the Demand No. 85 – Major Head 3001 – Indian Railways Policy Formulation, Direction, Research and other Misc. Organizations (Miscellaneous Expenditure General) – Annexure 'A' – Surveys.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Abhishek Jagawat)
Director/Gati Shakti (Civil)-II
Railway Board

No. 2024/W-I/CR/Surveys/26 (E- 3457157) New Delhi-110001, dated: 14.02.2025

Copy to:-

i. The PFA, Central Railway, Mumbai.
ii. The Principal Director of Audit, Central Railway, Mumbai.
iii. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

for Member (Finance) Railway Board

Copy forwarded to:-

i. CAO (C), Central Railway, Mumbai.
ii. ED(GS)F, Dir(GS)F, JD(GS)F, Budget, Works-I, Works-II & WDO Railway Board.

*****

बीड, ११ मार्च (प्रतिनिधि) - धाराशिव-बीड-छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) रेलवे परियोजना को केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गई है। इस रेलवे मार्ग के सर्वेक्षण के लिए ६ करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। सांसद बजरंग सोनवणे ने इस परियोजना को स्वीकृति देने की मांग की थी, जिस पर रेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया और १० फरवरी को रेलवे मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस मार्ग की जांच के आदेश दिए थे।

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ ऑनलाइन निरीक्षण

सांसद बजरंग सोनवणे ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के कार्यालय में इस नए रेल मार्ग का ऑनलाइन निरीक्षण किया। इससे पहले, १० फरवरी को उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इस परियोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस प्रस्ताव में बताया गया कि धाराशिव-बीड-छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) रेलवे मार्ग की कुल लंबाई २४०.१५ किमी होगी और इसका अनुमानित खर्च ४८५७.४७ करोड़ रुपये होगा।

मराठवाड़ा के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना

इस रेलवे परियोजना के लिए सांसद बजरंग सोनवणे जुलाई २०२४ से लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड से मराठवाड़ा क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी, यात्रा के समय में कमी, व्यापार एवं औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से इस परियोजना को मंजूरी देने की अपील की थी।

रेल मंत्रालय ने दी अंतिम सर्वेक्षण को मंजूरी

रेल मंत्रालय ने अब इस २४० किलोमीटर लंबे रेलवे मार्ग के अंतिम सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए ६ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह रेल मार्ग न केवल मराठवाड़ा के परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, बल्कि बीड जिले और पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सांसद बजरंग सोनवणे के अनुसार, यह रेलवे परियोजना पूरे क्षेत्र की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को गति देगी। आज ११ मार्च को उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के साथ ऑनलाइन बैठक कर इस परियोजना का निरीक्षण किया। इस परियोजना को लेकर स्थानीय जनता और व्यापारिक समुदाय में उत्साह देखा जा रहा है।

सौर ऊर्जा आधारित बिजली के लिए महाराष्ट्र सरकार लाएगी नई स्वतंत्र योजना-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई (विशेष प्रतिनिधि, जमीर काज़ी) - केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है, जिसके तहत ० से ३०० यूनिट तक बिजली खपत करने वाले ग्राहकों को रूफटॉप सोलर पैनल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार जल्द ही अपनी स्वतंत्र योजना लेकर आएगी, यह घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान की।

बिजली दरों में कमी के लिए सरकार के प्रयास

विधानसभा में सदस्य मुरजी पटेल ने बिजली दरों में वृद्धि को लेकर सवाल उठाया था, जिसमें सदस्य भास्कर जाधव ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार बिजली दरों को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (चएठउ) के पास अगले पांच वर्षों (२०२५-२६ से २०२९-३०) के लिए बहुवार्षिक बिजली दर याचिका (चींश्रींळ-धशरी ढरीळषष झशींळींळेप) प्रस्तुत की गई है। इस याचिका के आधार पर हर साल बिजली दरों में कमी आएगी। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, जिसने अगले पांच वर्षों के लिए बिजली दरों में वार्षिक कटौती की योजना प्रस्तुत की है।

मुंबई शहर के लिए भी नई योजनाएं

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुंबई शहर में बिजली आपूर्ति बेहतर करने के लिए बेस्ट, टाटा पावर, अदानी और महावितरण जैसी बिजली वितरण कंपनियों ने भी बहुवार्षिक बिजली दर याचिका दायर की है।

उन्होंने यह भी बताया कि बड़ी इमारतों में पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों माध्यमों से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विचार किया जा रहा है। जिन इमारतों में अधिक बिजली क्षमता है, वहां नई योजनाएं शुरू करने की भी योजना बनाई जा रही है।

नियामक आयोग करेगा अंतिम निर्णय

बिजली दरों को मंजूरी देने का अधिकार विद्युत नियामक आयोग के पास होता है। सरकार ने अगले पांच वर्षों की बिजली दरों को निर्धारित कर आयोग के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। सभी नियामक प्रक्रियाओं के बाद २०२५-२६ से २०२९-३० के बीच नई बिजली दरों का आदेश जारी किया जाएगा और इसी आधार पर बिजली वितरण कंपनियां बिजली की कीमतें तय करेंगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस नई योजना से राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी, सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी।

मॉर्निंग वॉक के दौरान पुलिस कर्मी की हार्ट अटैक से मौत

बीड, ११ मार्च (प्रतिनिधि) - सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान हार्ट अटैक आने से एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार (११ मार्च) को सामने आई।

बीड जिला पुलिस विभाग में वाहन चालक के रूप में कार्यरत राजू बखरे मंगलवार (११ मार्च) सुबह अपनी पत्नी के साथ पुलिस मुख्यालय में वॉकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया। स्थिति बिगड़ते देख उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस विभाग में शोक की लहर राजू बखरे पुलिस मुख्यालय में नियुक्त थे और अपने मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके अचानक निधन से परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों को गहरा आघात लगा है। इस घटना से पुलिस विभाग में भी शोक की लहर दौड़ गई है।

झटका बनाम हलाल मटन पर विधानसभा में हंगामा, नितेश राणे के बयान पर विपक्ष भड़का

मुंबई, ११ मार्च (अज़ीज़ इजाज़) - राज्य के मंत्री नितेश राणे के बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि झटका मटन बेचने वाले सभी दुकानदारों को मल्हार सर्टिफिकेट के तहत पंजीकृत किया जाएगा और ये दुकानें केवल हिंदू ही चलाएंगे। इस बयान पर विपक्षी दलों के नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई।

नितेश राणे धार्मिक विवाद भड़काने की कोशिश कर रहे हैं - नाना पटोले

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने कहा कि एक मंत्री को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि लोग कौन सा मटन कहां से खरीदें और कहां से नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि नितेश राणे धार्मिक विवाद भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

पटोले ने सवाल किया, नितेश राणे को दुकानदारों को सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने इसे एक नया व्यवसाय शुरू करके अपनी जेब भरने और धार्मिक विभाजन पैदा करने की साजिश बताया। पटोले ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और नितेश राणे को फटकार लगानी चाहिए।

विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, सरकार का काम कानून बनाना है, लेकिन अगर कोई मंत्री धार्मिक विभाजन करने की कोशिश कर रहा है, तो यह महाराष्ट्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मंत्री हमें यह न सिखाएं कि हमें हलाल मटन खाना चाहिए या झटका मटन। यह उनका काम नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कुछ लोग धार्मिक मुद्दे उठाकर महाराष्ट्र में सामाजिक शांति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक मंत्री को अपने शपथ के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि राज्य को धार्मिक विवादों में धकेलने का काम करना चाहिए।

सरकार ध्यान भटकाने के लिए यह सब कर रही है - अमीन पटेल

विधानसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर अमीन पटेल ने कहा कि सरकार बजट से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उछाल रही है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ हलाल मटन खाना पसंद करता हूं और वही खाऊंगा। झटका मटन में समस्या यह है कि उसमें खून रह जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन साफ-सुथरा होना चाहिए। हलाल मटन को दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षित और स्वच्छ माना जाता है। यूरोप और अमेरिका में हलाल मटन की बहुत मांग है। इसे हिंदू-मुस्लिम मुद्दा न बनाया जाए।

हलाल मटन अधिक स्वच्छ और वैज्ञानिक रूप से बेहतर - रईस शेख

विधायक रईस शेख ने कहा कि हलाल पद्धति में जानवर का गला आसानी से काटा जाता है, जिससे पूरा खून बह जाता है। उन्होंने कहा कि खून कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए हलाल प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित माना गया है।

अगर नितेश राणे मल्हार सर्टिफिकेट लागू कर रहे हैं, तो हम इसका विरोध करेंगे

रईस शेख ने साफ तौर पर कहा कि अगर नितेश राणे झटका मटन को प्रमोट करने के लिए 'मल्हार सर्टिफिकेट' लागू कर रहे हैं, तो हम इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे।

झटका और हलाल मटन में क्या फर्क है?

झटका मटन: इस प्रक्रिया में जानवर को एक ही वार में मारा जाता है। यह माना जाता है कि इससे जानवर को कम दर्द होता है, क्योंकि वह झटके में ही मर जाता है।

हलाल मटन: इसमें जानवर की रगें और सांस नली पहले काटी जाती हैं, जिससे पूरा खून बाहर निकल जाता है। यह मांस को अधिक स्वच्छ और बीमारियों से मुक्त बनाता है।

क्या होगा आगे?

इस विवाद के बाद सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ने की संभावना है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या सरकार नितेश राणे के बयान पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं।

हाउसिंग सोसायटी में शराब दुकान खोलने के लिए अब 'एनओसी' अनिवार्य-अजित पवार

मुंबई, ११ मार्च (जमीर काज़ी) - महाराष्ट्र में अब हाउसिंग सोसायटी के व्यावसायिक गालों में बियर शॉप या शराब दुकान खोलने के लिए सोसायटी की 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (छजउ) लेना अनिवार्य होगा। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को विधानसभा में यह घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि सोसायटी की अनुमति के बिना राज्य में कोई भी नई बियर शॉप या शराब दुकान शुरू नहीं की जा सकेगी।

शराब बिक्री पर कड़ा नियंत्रण, अवैध कारोबार रोकने पर जोर

अजित पवार ने कहा कि सरकार राज्य में शराब बिक्री को बढ़ावा देने की नीति नहीं अपना रही, बल्कि शराबबंदी के नियमों को सख्ती से लागू करना चाहती है। कई दशकों से राज्य में शराब बिक्री के नए लाइसेंस बंद हैं। स्कूलों और कॉलेजों के पास शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाती।

अगर किसी इलाके में स्थानीय लोग शराब की दुकान बंद करवाना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए मतदान करना होगा। महानगरपालिका वार्ड में हुए मतदान में यदि ७५% लोग शराब दुकान के खिलाफ वोट देते हैं, तो दुकान को बंद कर दिया जाएगा।

विधानसभा में उठा शराब बिक्री और कानून-व्यवस्था का मुद्दा

विधानसभा में विधायक महेश लांडगे और अड. राहुल कूल ने हाउसिंग सोसायटियों में शराब की दुकानों से कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी इस चर्चा में महत्वपूर्ण बिंदु उठाए।

इस पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हाउसिंग सोसायटी में शराब की दुकानें खोलने से झगड़े और सामाजिक अशांति की घटनाएं बढ़ती हैं। इसलिए अब इन दुकानों को खोलने से पहले सोसायटी की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है।

शराबबंदी की ओर कदम, अवैध शराब बिक्री रोकने के निर्देश

अजित पवार ने यह भी कहा कि सरकार शराबबंदी लागू करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, राज्य में कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले किसी भी शराब कारोबार को सहन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विधायकों और नागरिकों से आने वाले हर सुझाव पर सरकार सकारात्मक विचार करेगी।

क्या होगा आगे?

इस नए फैसले के बाद राज्य में हाउसिंग सोसायटियों में शराब की दुकानों को लेकर स्थानीय निवासियों को अधिक अधिकार मिलेगा। अब अगर किसी सोसायटी में शराब की दुकान खोलनी होगी, तो वहां के लोगों की सहमति जरूरी होगी। वहीं, अगर किसी इलाके में शराब दुकान बंद करनी है, तो ७५% लोगों के समर्थन से इसे बंद किया जा सकेगा।

सरकार के इस फैसले से शराब की बिक्री पर नियंत्रण और अवैध शराब कारोबार रोकने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

अमेरिका-कनाडा व्यापारिक विवाद बढ़ा, ट्रंपने आपातकाल लगाने की दी चेतावनी

वाशिंगटन/टोरंटो: अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि कनाडा से आयात किए जाने वाले स्टील और एल्युमीनियम पर मौजूदा २५% शुल्क को बढ़ाकर ५०% कर दिया जाएगा। यह फैसला ओंटारियो के मुख्यमंत्री डग फोर्ड द्वारा अमेरिकी राज्यों मिशिगन, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क को निर्यात की जाने वाली बिजली पर २५% अतिरिक्त शुल्क लगाने के जवाब में लिया गया है।

ओंटारियो सरकार का बड़ा फैसला

ओंटारियो सरकार के अनुसार, इस अतिरिक्त शुल्क से प्रतिदिन लगभग २.७८ लाख डॉलर की आय होगी और इससे १.५ मिलियन अमेरिकी घरों और व्यवसायों पर असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री डग फोर्ड ने कहा है कि यदि अमेरिका ने और कड़े कदम उठाए, तो वे अमेरिका को बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

ट्रंप ने दी कड़ी चेतावनी

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले के जवाब में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की चेतावनी दी है। इसके अलावा, कनाडा से आयात किए जाने वाले स्टील और एल्युमीनियम पर अतिरिक्त २५% शुल्क लगाने का ऐलान किया, जिससे कुल शुल्क बढ़कर ५०% हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि कनाडा अमेरिकी डेयरी उत्पादों पर लगाए गए २५०% से ३९०% तक के शुल्क को तुरंत समाप्त नहीं करता, तो २ अप्रैल से कनाडाई वाहनों पर भी भारी शुल्क लगाया जाएगा।

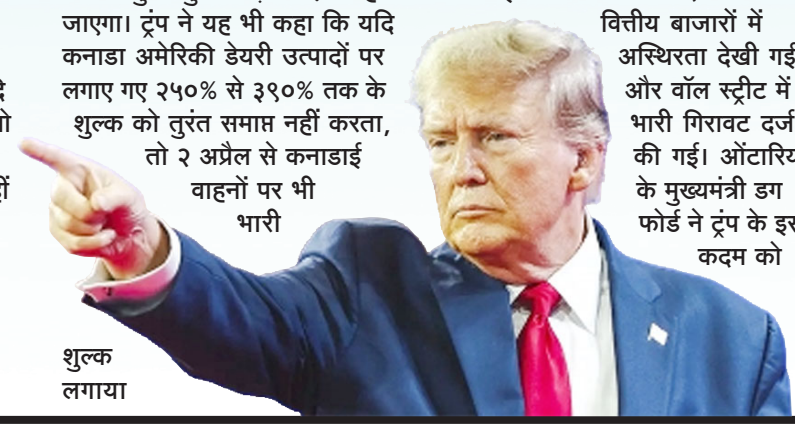

वित्तीय बाजार में उथल-पुथल

इस व्यापारिक विवाद के कारण वित्तीय बाजारों में अस्थिरता देखी गई और वॉल स्ट्रीट में भारी गिरावट दर्ज की गई। ओंटारियो के मुख्यमंत्री डग फोर्ड ने ट्रंप के इस कदम को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया और अमेरिकी व्यापारिक नेताओं से अपील की कि वे इस फैसले का विरोध करें।

कनाडा ने किया कड़ा जवाब

कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के सम्मान और मुक्त व्यापार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखेगी। उन्होंने ट्रंप के नए टैरिफ को कनाडाई श्रमिकों, परिवारों और व्यवसायों पर सीधा हमला करार दिया।

कनाडा को अमेरिका का ५१वां राज्य बन जाना चाहिए - ट्रंप

ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि यदि कनाडा अमेरिका का ५१वां राज्य बन जाए, तो सभी व्यापारिक मुद्दे और शुल्क समाप्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे कनाडाई नागरिकों को कम करों का लाभ मिलेगा और वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।

आर्थिक संबंधों पर गहरा असर संभव

यह व्यापारिक विवाद अमेरिका और कनाडा की अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और आने वाले दिनों में इसके और गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर अब पुलिस की नजर, अन्य धर्मस्थलों पर भी होगी कार्रवाई-मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई, ११ मार्च (अज़ीज़ इजाज) - महाराष्ट्र सरकार अब राज्य में सभी धर्मस्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों (भोंगा) की कड़ी निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि अगर कोई ५५ डेसिबल के नियम का उल्लंघन करता है, तो उसकी अनुमति स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की जांच करना पुलिस इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होगी, जिसे इस बारे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जानकारी देनी होगी।

बीजेपी विधायक ने उठाया मामला

विधानसभा में बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में धर्मस्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि २३ जनवरी २०२५ को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी मांग की कि स्थानीय पुलिस थानों के इंस्पेक्टरों को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाए और नियमों का पालन न कराने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी धर्मस्थल पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही, रात १० बजे से सुबह ६ बजे तक लाउडस्पीकर पूरी तरह बंद रखना होगा।

उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई व्यक्ति राज्य में ५५ डेसिबल (दिन में) और ४५ डेसिबल (रात में) के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे दोबारा लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और संबंधित लाउडस्पीकर जब्त कर लिया जाएगा। इस नियम को लागू करवाने की जिम्मेदारी संबंधित पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर की होगी।

पुलिस करेगी निरीक्षण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जाएगी सूचना

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि हर पुलिस इंस्पेक्टर अपने क्षेत्र के धर्मस्थलों का दौरा कर लाउडस्पीकर के नियमों की जांच करेगा। इसके लिए राज्यभर के सभी पुलिस स्टेशनों में ध्वनि मापक मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि कोई धर्मस्थल ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करता है, तो पहले इसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित किया जाएगा। इसके बाद, दूसरे चरण में, उस स्थान पर दोबारा लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नियम न मानने पर पुलिस अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि पुलिस इंस्पेक्टर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस तरह की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है और केंद्र सरकार से इस कानून में कुछ बदलाव करने की मांग की जाएगी।

लाउडस्पीकर विवाद पर पहले भी हो चुकी है बहस

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर पहले भी कई बार विवाद हुआ है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी, जिसके बाद कुछ जगहों पर कार्रवाई हुई, लेकिन बाद में मामला ठंडा पड़ गया। अब सरकार इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त नियम लागू करेगी।

शेख रमिज अहमद बने मुस्लिम वेल्फेयर एसोसिएशन बीड के जिल्हाध्यक्ष

बीड (प्रतिनिधि) - राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) के बीड जिला कार्याध्यक्ष और धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी शेख रमिज अहमद को मुस्लिम वेल्फेयर एसोसिएशन के बीड जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस घोषणा की संस्थापक अध्यक्ष सलीम सारंग ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की।

मुस्लिम समाज के विकास की जिम्मेदारी

मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के संस्थापक और अजित पवार के निकट सहयोगी सलीम सारंग के विश्वास पर खरे उतरते हुए शेख रमिज अहमद को बीड जिले में मुस्लिम समाज के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति पर विभिन्न स्तरों से

बधाइयों का तांता लगा हुआ है।

शेख रमिज अहमद लंबे समय से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और गरीब एवं वंचित तबके के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं। उनकी नियुक्ति को लेकर यह उम्मीद जताई जा रही है कि उनके माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचेगा।

बड़ी जिम्मेदारी, समाज की सेवा का संकल्प

सलीम सारंग ने एक सच्चे कार्यकर्ता को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर उनके काम को सराहा और एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर शेख रमिज अहमद ने सलीम सारंग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरी ईमानदारी के साथ समाज के हक और जरूरतों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए हरसंभव कार्य करेंगे।

शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर जोर

शेख रमिज अहमद समाजसेवा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और मुस्लिम समाज के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनकी नियुक्ति से मुस्लिम वेल्फेयर एसोसिएशन के कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी।

संघटनात्मक दृष्टि से भी यह नियुक्ति संस्था के विस्तार और प्रभाव को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। जिले में मुस्लिम समाज के उत्थान और संगठन की मजबूती के लिए यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हुमैरा और जावेरिया ने ६ और ८ साल की उम्र में रखा पहला रोज़ा, परिवार और समाज ने दी शुभकामनाएँ

मद मोही (प्रतिनिधि) - ६ वर्षीय जावेरिया और ८ वर्षीय हुमैरा पिता हाफिज समीर खान ने इस साल पवित्र रमज़ान के महीने में अपना पहला रोज़ा रखा। उनकी इस धार्मिक निष्ठा और समर्पण की परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों ने जमकर सराहना की।

इस विशेष अवसर पर घर के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों ने जावेरिया और हुमैरा की हिम्मत और इबादत की तारीफ की। सभी ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें इस महत्वपूर्ण अवसर पर बधाई दी।

बच्चों की इस आस्था और आत्मसंयम को देखकर परिवार और समाज के लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

बीड़ की ज़ारा इमरान पठान ने ८ साल की उम्र में रखा पहला रोज़ा, परिवार और समाज ने की सराहना

बीड़ (प्रतिनिधि) - बीड़ शहर के जम जम कॉलोनी की रहने वाली ज़ारा इमरान पठान ने महज ८ साल की उम्र में पवित्र रमज़ान महीने का रोज़ा पूरा किया। उनके इस संकल्प और हौसले की परिवार और समाज के लोगों द्वारा सराहना की जा रही है।

ज़ारा के परिवारवालों ने बताया कि उन्होंने पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ पहला रोज़ा रखा और पूरे दिन संयम बनाए रखा। उनकी इस धार्मिक निष्ठा और समर्पण की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है।

परिजनों ने इस मौके पर ज़ारा का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समाज के बुजुर्गों और जानकारों का कहना है कि छोटी उम्र में इस तरह का संकल्प लेना प्रेरणादायक है और यह दर्शाता है कि आने वाली पीढ़ी भी धार्मिक परंपराओं का पालन करने के लिए तत्पर है।

ज़ारा इमरान पठान की इस उपलब्धि पर परिवार, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएँ प्रेषित की।

रियाज कागज़ी सर को सदमा

बीड:मिल्लीया जूनियर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य रियाज कागज़ी सर की पुत्री एवं फिरोज़ खान की पत्नी का ११ मार्च को निधन हो गया। उनकी नमाज़े जनाज़ा और तदफीन दोपहर में तकीया मस्जिद परिसर में संपन्न हुआ।

स्वर्गीय महिला मिलया स्कूल के शिक्षक अयाज़ कागज़ी सर की बहन थीं। अल्लाह से दुआ है कि वह मरहूमा की मग़फिरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उच्च स्थान प्रदान करें। इदारा तामीर कागज़ी और खान परिवार के इस दुख में बराबर का सहभागी है।

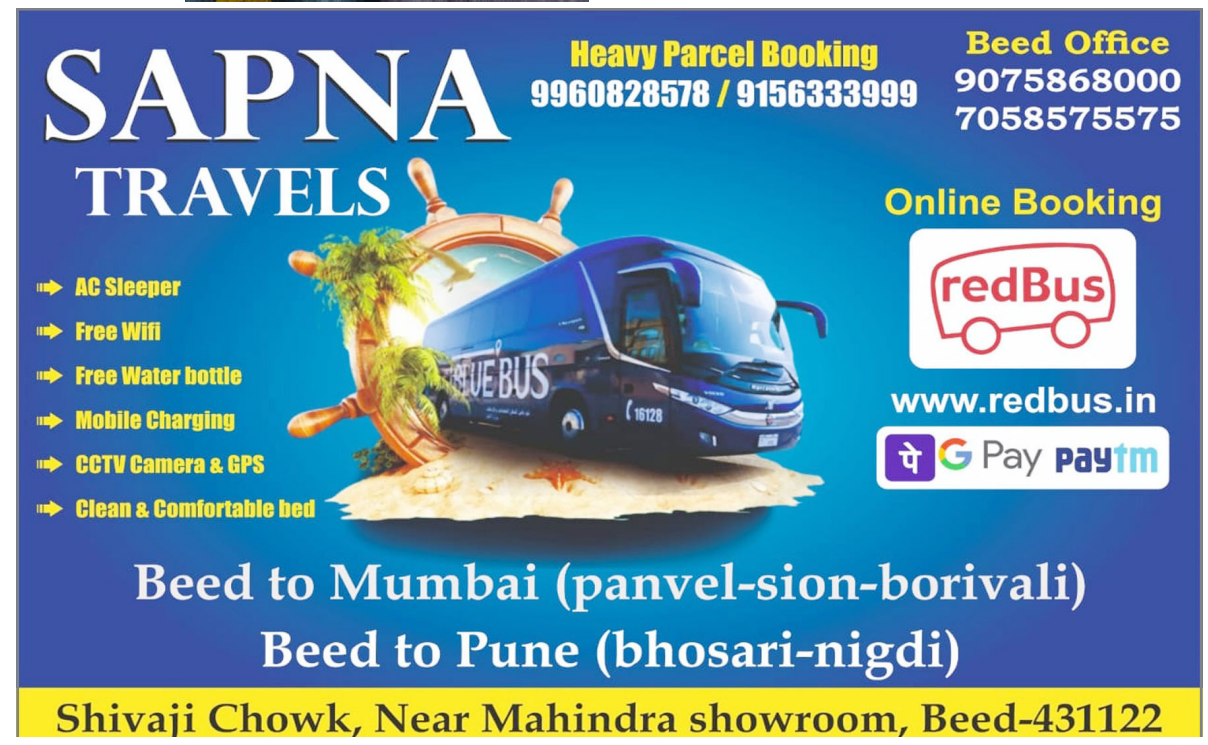

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com